संक्षिप्त

गौवंश को खिलाये औषधियुक्त लड्डू

मालपुरा, (निसं)। गौवंश मे फैल रहे लम्पी संक्रमण से हो रही मौतों को गंभीरता से लेते हुए अब युवा टीमें ग्रामीण क्षेत्रों में गौसेवा की मुहिम चला संक्रमित गौवंश को आयुर्वेदिक औषधी के लड्डू खिला उपचार मे जुट गये। उपखण्ड क्षेत्र के तांतिया गांव मे पशुधन सहायक राकेश गढवाल की देखरेख मे युवाओं ने निजी कोष से 21 हजार रूपयो की राशि संग्रह कर आयुर्वेदिक जडी बुटियां खरीद आयुर्वेदिक पद्धति से औषधी के लड्डू तैयार कर हिंडोला, इंदोली, तांतिया, रतनपुरा आदि गांवो मे टीमे बना संक्रमित गौवंश को एक स्थान पर एकत्रित कर टीमे पशुधन सहायको की सलाह पर औषधी के लड्डू खिला उपचार कर रहै है तो युवा टीम ने 2 हजार रूपये की अतिआवश्यक दवाईयां पशुधन सहायक को भेंट की।

संगीत एवं कला उत्सव संपन्न

खैरथल, (निसं)। स्थानीय जवाहर नवोदय विद्यालय में जयपुर संभाग स्तरीय कला एवं संगीत उत्सव का मंगलवार को समापन किया गया। प्राचार्य के के जोशी ने बताया कि समापन समारोह में परिणाम की घोषणा करते हुए सभी कैटेगरी में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले सभी प्रतिभागी 23 व 24 सितंबर को दौसा में होने वाले संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। मंच संचालक सुरेश पँवार ने जानकारी दी। इस अवसर पर देशराज यादव, के आर मीना, जितेंद्र रचेता, सुषमा यादव, सुदेश कुमारी, संतोष कुमारी, बी एस ढाका, संगीत शिक्षक महावीर सिंह, कला शिक्षक शम्भूदयाल, गजानन जीभकाते, जया, विनोद आर्य तथा जितेंद्र कुमार सहित संगीताचर्य दीपक लखवानी समस्त स्टाफ का सक्रिय सहयोग रहा।

आक्रोश रैली निकाल सौंपा ज्ञापन

मालपुरा, (निसं)। आरक्षण व 11 सूत्री मांगों सहित जयपुर में माली समाज के युवाओं की हुई गिरफ्तारी में मंगलवार को माली समाज ने टोडारायसिंह कस्बे में आक्रोश रैली निकाल एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सौंपे ज्ञापन में बताया कि 15 सितम्बर को माली समाज के युवाओं पर हुई लाठीचार्ज व पुलिस द्वारा दर्ज किये गये झुठे मुकदमे वापस लिये जावे। मुकदमे वापस लिये जाने सहित 11 सुत्री मांगो को लेकर तेजाजी चौक पर एकत्रित हुए माली समाज के लोगो ने एसडीएम कार्यालय तक जनआक्रोश रैली निकाल जमकर नारेबाजी की तत्पश्चात राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। डीवाईएसपी सुशील मान की मौजूदगी में भारी पुलिस जाप्ता तैनात रहा। तो देर शाम तक जयपुर सैशन न्यायालय एडीजे प्रथम ने माली समाज के 84 लोगों को जमानत पर रिहा किया गया।

पायलट के लिए दुआ की

टोंक, (निसं)। ख्वाजा गरीब नवाज साहब की दरगाह अजमेर पहुंच कर रेल लाओ संघर्ष समिति अध्यक्ष, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार समाजिक न्याय संगठन राष्ट्रीय संयोजक अकबर खान ने ख्वाजा साहब की दरगाह पर अकीदत की फूल पेश किए और उन्होंने पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं टोंक विधायक सचिन पायलट के जल्द से जल्द मुख्यमंत्री बनने के लिए दुआ की।

बच्चों को पिलाई पोलियो की खुराक

पावटा, (निसं)। पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के तहत रविवार व सोमवार को टीमों द्वारा घर-घर जाकर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। विराटनगर ब्लॉक बीसीएमओ डॉ. सुनील बीसीएमओ डॉ. सुनील मीणा ने बताया कि दो दिनों में ब्लॉक विराटनगर में कुल 35151 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गयी जो कि लक्ष्य का 99 प्रतिशत रहा। इस प्रकार बूथों की टीमों द्वारा भी घर-घर भ्रमण कर जिमेदारीपूर्वक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने में अपना योगदान दिया।

रामलीला का मंचन शुरू

पावटा, (निसं)। आदर्श रामलीला मंडल पावटा द्वारा सोमवार को गणेश पूजन व नारद मोह की लीला के साथ शहर में रामलीला का मंचन शुरू कर दिया गया। उपखंड पावटा स्थित रामलीला मैदान में आदर्श रामलीला मंडल पावटा कमेटी की ओर से रामलीला मंचन का आयोजन शुरू किया गया है।

भूमि आवंटन की मांग को लेकर गाड़िया लुहारों ने प्रदर्शन किया

नारायणपुर, (निसं)। कस्बे में मंगलवार को गाड़िया लुहारों ने भूमि आवंटन की मांग को लेकर ग्राम पंचायत मिनी सचिवालय में वार्ड पंच बुद्धाराम यादव के सानिध्य में धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे गाडिया लुहारों ने बताया कि करीब 50 वर्ष से नारायणपुर कस्बे में सड़क किनारे तम्बू लगाकर रह रहे है, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा भूमि आवंटन व आवास नही मिलने से करीब 50 परिवार आज भी दर-दर भटक रहे हैं। जबकि हमारे पास राशनकार्ड, जनाधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज भी है। मंगलवार को आक्रोशित गाड़िया लुहारों ने ग्राम पंचायत की पाक्षिक बैठक के दौरान मिनी सचिवालय परिसर में धरने पर बैठ गये और करीब 2 घंटे धरना प्रदर्शन के बाद नायब तहसीलदार शिवानी शर्मा धरना स्थल पहुंच कर पीड़ित गाड़िया लुहारों की समस्या सुनी और भूमि आवंटन संबंधित जानकारी सरपंच मन्नी देवी व ग्राम विकास अधिकारी बंशीधर गुर्जर से लेकर जल्द गाड़िया लुहारों को भूमि आवंटन की बात कही।

इधर सरपंच मन्नी देवी ने बताया कि मानसरोवर जोहड़ पर चिन्हीकरण कर भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। जल्दी ही गाड़िया लुहारों को पट्टा जारी कर बसाया जायेगा।

नारायणपुर ग्राम पंचायत मिनी सचिवालय में धरने पर बैठे गाड़िया लुहार।

- भूमि आवंटन व आवास नहीं मिलने से करीब 50 परिवार दर-दर भटक रहे हैं

इस दौरान गाड़िया लुहारों ने भूमि आवंटन के आश्वाशन के बाद जाम खोला था। इस मौके पर सक्कुड़ी लुहारी, सुमन, संतरा, फोटूडा, चीनी, हंसा, नकला, भगवती, मिश्री, काली, रेशमा, तीजा आदि गाड़िया लुहार धरना स्थल पर मौजूद थी।

जानकारी के अनुसार गाड़िया लुहारों ने 23 नवम्बर 2021 को भी भूमि आवंटन की मांग को लेकर नारायणपुर-अलवर सड़क मार्ग को जाम किया था।

दो पक्षों में मारपीट

टोंक, (निसं)। शहर कोतवाली थानान्तर्गत मोतीबाग रोड पर जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष भिड़ गए। दोनों पक्षों में हुई मारपीट के बाद धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में दोनों ही पक्षों के दो लोग घायल हो गए। घायलों को सआदत अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार जावेद मसूद व इकबाल के बीच किसी जमीन के पैसों को लेकर कहासुनी हो गई, देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई, दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। घायल हुए इकबाल के पुत्र ने आरोप लगाया कि जावेद मसूद निवासी राज टाकीज रोड अपने बेटे हाशिम व अन्यों के साथ आया और मेरे पिता इकबाल पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया।। जावेद मसूद ने मेरे पिता इकबाल पर तलवार से हमला कर दिया, जिसमें इकबाल बुरी तरह घायल हो गया। वही दूसरे पक्ष के घायल जावेद मसूद ने बताया कि इकबाल ने अपने साथियों के साथ हमला कर दिया। जिसमें उसके भी चोंटे आई है, मारपीट में नजरबाग रोड निवासी जावेद मसूद व दूसरे पक्ष का गैस गोदाम के पीछे मोतीबाग रोड निवासी इकबाल घायल हो गए। घायलों को सआदत अस्ताल पहुंचाया गया। जहां से इकबाल को जयपुर रैफर कर दिया गया है। दोनों पक्षों की और से कोतवाली थाना शिकायत दर्ज कराई गई है।

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JAIPUR
First Floor, Sudharma-II, Lal Kothi Shopping Center, Tonk Road, Jaipur-302015
Case No.:OA/750/2022 Exh. No:5979
Summons under sub-section (4) of section 19 of the Act, read with sub-rule (2A) of rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules,1993.
To, **AXIS BANK V/S DAKSHA KUMARI JAIN**
(1) DAKSHA KUMARI JAIN W/O VIRENDRA KUMAR MODI PLOT NO 187, SCHEME NO 1, PRATAP NAGAR KHATIPURA SIRSI ROAD JAIPUR RAJASTHAN
(2) VIRENDRA KUMAR JAIN S/O PH MODI PLOT NO 187, SCHEME NO 1, PRATAP NAGAR KHATIPURA SIRSI ROAD JAIPUR RAJASTHAN
SUMMONS
WHEREAS, OA/750/2022 was listed before Hon'ble Presiding Officer on 19/07/2022. WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/notice on the said Application under section 19(4) of the Act, (OA) filed againts you for recovery of debts of Rs.12313498/- (application along with copies of documents etc. annexed) In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, You the defendants are directed as under:- (I) to show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted: (ii) to disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application: (iii) you are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties: (iv) you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and/or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the tribunal: (v) you shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institions holding security interest over such assets. You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the application and to appear Registrar on 21/12/2022 at 10:30 A.M failing which the application shall be heard and decided in your absence. Give under my hand and seal of this Tribunal on this date:21/07/2022
Seal Registrar DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, JAIPUR

दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की मांग

पावटा, (निसं)। मानगढ के पीडित परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर अजीतगढ पुलिस थाने के बाहर धरना व ज्ञापन देने जा रहे लोगों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कर मारपीट करने की घटना के विरोध में मंगलवार को कुहार-प्रजापति समाज पावटा-प्रागपुरा द्वारा उपखंड अधिकारी राजवीर यादव पावटा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। जिसमें दोषी अजीतगढ थाना प्रभारी समेत अन्य कार्मिकों पर मुकदमा दर्ज कर निलंबित करने की मांग की है। जानकारी के अनुसार ग्राम मानगढ निवासी हंसा देवी को उसके परिजनों के साथ मारपीट करने के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर 7 सितंबर को अजीतगढ पुलिस थाने के बाहर धरना शुरू किया गया था। 9 सितंबर को धरनार्थी थाना प्रभारी को ज्ञापन देने जा रहे थे कि पुलिस ने धोखे से लाठीचार्ज कर दिया। घटना के दौरान पुलिस ने महिला व पुरुषों को घसीटते हुए थाने ले जाकर मारपीट की। इस घटना के बाद कुहार समाज में आक्रोश व्याप्त है। ज्ञापन में लोगों ने थानाधिकारी सहित पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज कर निलंबित करने की कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान कुहार महासभा के प्रदेश सचिव हेमराज प्रजापत भौनावास, जयपुर ग्रामीण जिला अध्यक्ष बब्लू प्रजापत कारोली, टिंकू प्रजापति पावटा, कालूराम प्रजापत, गोवर्धन प्रजापत, विमल प्रजापत, खेलना ग्यारसीलाल कुहार, प्रागपुरा मनोज प्रजापत, पाथरेडी धूणीलाल प्रजापत, कल्याणपुरा दाताराम प्रजापत, प्रदीप, विकास पावटा सहित अनेक समाज बंधु उपस्थित रहे।

बहरोड़ के विकास अधिकारी वीरेंद्र चौहान को कोर्ट ने हटाया

बहरोड़/ नीमराना, (निसं)। 20 सितम्बर 2022 पंचायत समिति बहरोड़ के विकास अधिकारी का चार्ज वीरेंद्र कुमार चौहान के पास था।

जिसके खिलाफ दर्जनों मुकदमे पुलिस थाना नीमराणा, बहरोड़ शाहजहांपुर में दर्ज हैं तथा सन 2010 से 2015 तक ग्राम पंचायत बर्ड़ोद में ग्राम सेवक व पदेन सचिव के पद पर रहते हुए सैकड़ों पट्टे गैर आबादी क्षेत्र में तथा विधि विरुद्ध वाणिज्यिक पट्टे निशुल्क एवं 300 वर्ग गज से अधिक आवासीय पट्टे काटे जाने की उच्च स्तरीय शिकायत के आधार पर जांच कमेटियां गठित की जा चुकी हैं। राज्य सरकार की सर्कुलर दिनांक 23 जुलाई 2003 के आधार पर जब किसी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं की जांच पेंडिंग हो तो ऐसे अधिकारी को फील्ड पोस्टिंग भविष्य में नहीं दी जावे।

उपरोक्त ग्राउंड्स के आधार पर पंचायत समिति बहरोड़ की प्रधान सरोज बस्तीराम यादव ने उच्च न्यायालय में ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ उच्च न्यायालय में रिट दायर की थी। जिसमें वीरेंद्र कुमार चौहान विकास अधिकारी रेस्पोंडेंट नंबर पांच पर अंकित है। जिस पर दिनांक 19 सितंबर 2022 को उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई की गई।

जिसमें प्रार्थी की तरफ से एम एस राघव वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सुमेर सिंह ओला तथा मनोज कुमार यादव एडवोकेट ने पैरवी की तथा विभाग की तरफ से राजकीय पैरोकार सत्येंद्र सिंह राघव डबल एजी ने पैरवी की थी। जिसमें निर्णय किया गया कि जिस अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार और अनैतिक आचरण संबंधी जांच लंबित हों ऐसे अधिकारी को फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जावे।

अत: विकास अधिकारी बहरोड़ विरेंद्र कुमार चौहान से बहरोड़ पंचायत समिति के विकास अधिकारी का चार्ज दिया जाना स्थगित किया जाता है। उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 19 सितंबर 2022 की प्रति संलग्न है और इसी आदेश में राज सरकार का सर्कुलर दिनांक 23 जुलाई 2003 का विवरण अंकित है।

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, (अनाज), चौमूँ (जयपुर)

क्रमांक:907-916 **निविदा सूचना** दिनांक-19.9.2022

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस मंडी समिति में निम्नलिखित व्यवस्थायें/कार्य करवाने हेतु ठेके देने के लिये इच्छुक निविदादाता फर्मों/व्यक्तियों से दिनांक 6.10.2022 को प्रात: 11.30 बजे तक निर्धारित निविदा प्रपत्र में बन्द लिफाफे में निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

क्र. सं.	कार्य/व्यवस्था का नाम	ठेके की अवधि	कार्य की अनुमानित लागत (लाख.रु. में)
1.	क्लिनिंग एवम् सोर्टिंग मशीन (2THP) को दो वर्ष की अवधि के लिये किराये पर चलाने हेतु	दो वर्ष	240
2.	जलपान व्यवस्था ठेका (कियोस्क सं.-01 जलपान ठेला-23 व 4)	एक वर्ष	3.00
3.	लेखन मुद्रण कार्यालय एवं लेखन मुद्रण व्यापारी	एक वर्ष	1.80

प्राप्त निविदाओं को उसी दिन दोपहर 12.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं (यदि कोई उपस्थित हों) के समक्ष खोला जायेगा। निविदा से सम्बंधित अन्य विस्तृत विवरण निविदा शर्तें व जानकारी www.sppp.rajasthan.gov.in एवं विभागीय वेबसाईट www.mandi.agriculture.rajasthan.gov.in पर तथा किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में कार्यालय में उपस्थित होकर अवलोकन की जा सकती है।

सचिव प्रशासक

दो आरोपियों को सजा सुनाई

टोंक, (निस)। पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश ने पीपलू क्षेत्र में एक 14 वर्षीय नाबालिक को जबरदस्ती बहसा फूसला कर लेने के मामले में दो आरोपियों को 20-20 साल की सजा एवं 1 लाख रुपए के जुर्माने से दण्डित करने के आदेश पारित किए। पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक मोहम्मद मियां गुलजार ने बताया कि प्रकरण इस प्रकार है कि 8 जुलाई 2021 को पीपलू थाना में रिपोर्ट दर्ज हुई थी कि एक 14 वर्षीय नाबालिक पुत्री को आरोपी रतन बैरवा पुत्र देवा जाति बैरवा निवासी बंमोरी तहसील मालपुरा व 4-5 अन्य बहला-फूसला कर जबरदस्ती ले गए। जिस पर पोक्सो न्यायालय में 10 नवम्बर 2021 को आरोपियों के विरुद्ध चालान पेश किया गया। जिस पर पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी रतन बैरवा पुत्र देवाराम बैरवा एवं सोहन लाल को सजा एवं जुर्माने से दण्डित करने के आदेश पारित किए।

बोई फसल को नष्ट करने करने पर ज्ञापन दिया

टोंक, (निसं)। देवली क्षेत्र के ग्राम सतवाडा के ग्रामीणों ने बनास नदी पेटे में उनके खेतों में बजरी माफियाओं द्वारा बोई फसल को नष्ट करने एवं परेशान करने के मामले में अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया।

- सतवाडा के ग्रामीणों ने बजरी माफियाओं के खिलाफ ज्ञापन दिया

बनास नदी पेटे में खेतों में बजरी माफियाओं द्वारा बोई फसल को नष्ट करने पर ज्ञापन देने आये ग्रामीण।

ग्राम सतवाडा रामनिवास, रामलाल, लाला, सोजी हंसराज, हेमराज, श्रवण, पोलू भीलू, मंगलाराम, रामघणी देवी, सोरा, लाली, राजी, गोरा आदि ने दिए ज्ञापन में बताया कि वह बनास दी में मजदूरी करके सालभर में एक फसल नदी में पानी होने पर अपना व परिवार का पालन पोषण करते हैं। बजरी कम्पनी के ठेकेदार व्यक्ति बोई हुई फसल को नष्ट करने पर आमादा है और आए दिन जीप भरकर आते है और हमारी झुग्गी झौपडियों को हटाने के लिए कहते हैं। इन लोगों ने गिरोह बनाकर परेशान कर रखा है और खेती नहीं करने देते हैं। पानी नष्ट करके हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाने के साथ परेशान करते हैं। इस मामले में किसानों की मदद से बजरी माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही की जाए।

कोबरा सांप आने से मरीजों मे भय

फुलेरा, (निसं)। कस्बे के जोबनेर सङक स्थित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में बुधवार को एक 4 फीट लम्बा कोबरा सांप आ जाने से मरीजों मे भय का माहौल हो गया। जिसकी सूचना समाजसेवी हेमन्त शर्मा व आबिद कुरेशी ने कस्बे में संचालित पशु पक्षी व पर्यावरण संरक्षण करने वाली संस्था वाइल्डलाइफ क्रिएचर ऑर्गेनाइजेशन(डब्लू सी ओ) के संस्थापक ओमप्रकाश सैन को दी। जिस पर ओमप्रकाश सैन (पीन्टी) तुरंत मौके पर पहुंचकर 4 फीट लम्बे कोबरा सांप को रेस्क्यू किया। वहीं पीन्टी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कोबरा प्रजाति का सांप है। जिसमें न्युरोटोकसिन विष पाया जाता है। जो कि नर्वस सिस्टम को फेल कर देता है, और जिससे उपचार नहीं मिलने पर 40-50 मिनट में ही इंसान की मौत हो सकती है। इस अवसर पर मौके पर चिकित्सा प्रभारी डॉ. धर्मेन्द्र भामु सहित चिकित्सालय का स्टाफ उपस्थित रहा।

विधायक बैरवा ने मेले में शिरकत की

निवाई, (निसं)। उपखंड के निकटवर्ती गांव नला में तेजा नवयुवक मंडल के तत्वाधान में आयोजित लोक देवता तेजाजी महाराज के मेले में विधायक प्रशांत बैरवा ने शिरकत की।

विधायक प्रशांत बैरवा के पहुंचते ग्रामीणों ने विधायक का भव्य स्वागत किया एवं ढोल नगाड़े से मंदिर परिसर तक लेकर गए। विधायक बैरवा ने लोक देवता तेजाजी महाराज से आशीर्वाद लिया एवं प्रदेश में खुशहाली की मनोकामना की। इस दौरान मेला आयोजन समिति को विधायक प्रशांत बैरवा ने 25 हजार रुपए का नगद पुरस्कार दिया। विधायक प्रशांत बैरवा ने ग्रामीणों को संबोधित किया।

विधायक बैरवा ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार गांव एवं गरीब के विकास के लिए कटिबद्ध है। ग्रामीणों की मांग पर विधायक बैरवा ने गांव नला से सिरस तक सडक निर्माण करने की घोषणा की। नला आयोजन समिति के दयाराम चौधरी, हरिशंकर चौधरी, अभिषेक पारीक, प्रदीप चौधरी, पंडित अशोक शर्मा, सरदार चौधरी ने विधायक बैरवा का राजस्थानी परंपरा अनुसार साफा पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। इस मौके पर पीसीसी सदस्य ब्रह्मप्रकाश गुर्जर, पार्षद प्रदीप पारीक, राजेश चौधरी गुरुजी, खंडवा सरपंच देवनारायण गुर्जर, चैनपुरा सरपंच मदन, लाल मीणा, ढाणी जुगलपुरा सरपंच प्रतिनिधि पप्पूलाल मीणा, सिरोही सरपंच प्रतिनिधि सुरेंद्र बेनीवाल, राजेश पारीक सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे।

लाठीचार्ज की निन्दा

कोटपूतली। भाजपा नेता मुकेश गोयल ने सैनी समाज द्वारा 11 सूत्रीय मांगों को लेकर शांतिपूर्वक धरना दे रहे समाज के लोगों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने की निन्दा करते हुए सैनी समाज की इन मांगों को मनवाने तथा इस लाठीचार्ज में सैनी समाज के जिन युवकों पर मुकदमे दर्ज हुए है उनकी शीघ्रातिशीघ्र रिहाई की मांग हेतु प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र लिखा है। गोयल ने पत्र में लिखा है कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सभी को अधिकार है। सैनी समाज के युवाओं द्वारा कोई हिंसक प्रदर्शन भी नही किया गया, सिर्फ अपनी बात सरकार तक पहुँचाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में इन युवाओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जाना तथा उन पर मुकदमे दर्ज किया जाना दमनात्मक कार्यवाही है। उन्होंने पत्र में मांग करते हुए लिखा है कि इस कार्यवाही में दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही कर सैनी समाज के आरक्षण सम्बन्धी 11 सूत्रीय मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक सकारात्मक निर्णय लेकर समाज की मांगों को मानकर समाज का भला करें।

आचार्य धर्मेंद्र महाराज हुए पंचतत्व में विलीन

पावटा, (निसं)। विराटनगर पंचखण्ड पीठ के संत आचार्य धर्मेंद्र महाराज के देवलोकगमन के बाद जयपुर जिले समेत विराटनगर क्षेत्र में शोक की लहर दौड गई। विराटनगर समेत आस-पास के इलाकों में बाजार बंद हो गए। आचार्य धर्मेंद्र की अंतिम यात्रा के दौरान देश प्रदेश से हजारों की संया में लोग अंतिम दर्शन करने पहुंचे।

आचार्य धर्मेंद्र की अंतिम यात्रा कस्बे के

- हजारों लोग अंतिम यात्रा में हुए शामिल

मुय मार्गो से होते हुए पावन पीठ पहुंची। इस दौरान बडी संया में।लोगों ने जगह-जगह पुष्पवर्षा कर आचार्य धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी। पावन धाम स्थित आश्रम में आचार्य धर्मेंद्र महाराज का विधि-विधान से अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह, जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्द्धन सिंह राठौड, विराटनगर

विधायक सहित विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने पुष्पचक्र अर्पित किये।

विधायक इंद्रराज गुर्जर, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेन्द्र सिंह, पूर्व विधायक फूलचंद भिंडा समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने पुष्पचक्र चढाकर श्रद्धांजलि दी। वहीं, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने नम आंखों से महाराज के निधन को देश के लिए अपूरणीय क्षति बताया। उन्होंने गौवंश के लिए 1966 में हुए आंदोलन को देश के हित में बडा योगदान बताया।

साथ ही उन्होंने कहा कि महाराज श्री के जाने से उनके सिर से पिता का साया उठ गया। कर्नल राठौड ने कहा कि देश व हिन्दू समुदाय के लिए बहुत बडी क्षति हुई है जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती है। आचार्य धर्मेंद्र के गौवंश को बचाने के लिए किए गए योगदान को भुलाया नहीं जा सकता।

पोषण मेले का हुआ आयोजन

लालसोट, (निसं)। उपखंड मुख्यालय स्थित संस्कृत कालेज परिसर में आयोजित हुए बाल विकास विभाग के पोषण मेले कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर पालिका चेयरमैन रक्षा मिश्र ने कहा कि महिलाओं के स्वास्थ्य एवं विभिन्न संरचनाओं को पोषित करने में महिला बाल विकास विभाग का बड़ा योगदान रहा है। जिस तरह कांग्रेस सरकार द्वारा महिलाओं को पुरुष के समकक्ष खड़ा करने के लिए आरक्षित कर उसको हर क्षेत्र में भागीदार बना दिया गया उसी तरह महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर महिला बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं को स्वास्थ्य स्तर पर संपूर्ण पोषित कर शारीरिक रूप से संपन्न बनाया है।संस्कृत कॉलेज में पोषण माह केअंतर्गत पोषण मेले के आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष रक्षा मिश्रा, विशिष्ट अतिथि धर्मवीर मीणा उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग दोसा, नरेश मीणा बाल विकास परियोजना अधिकारी लवान उपस्थित रहे।

कार्यालय नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

क्रमांक-नपाश्रीमा./2022-23/3862-63 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक-20.09.2022

श्री संजय गोयल पुत्र श्री नोरंगमल गोयल निवासी वार्ड नं.03 सीकर बाजार रोड श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ने नीचे वर्णित भूमि में अपने अधिकार व्यावसायिक प्रयोजनार्थ के लिये ऐसी भूमि के उपयोग के लिये पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिये नगर पालिका के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/गली का नाम	पडौस द्वारा सीमाबद्ध भू-खण्ड सं.	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लम्बाई और चौडाई सहित क्षेत्र (मीटर में)
नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर)	वर्तमान वार्ड नं.03 सीकर बाजार श्रीमाधोपुर	चर्तु सीमाऐ निम्न प्रकार से है-पूर्व दिशा मे सतीश हलवाई की दुकान, पश्चिम दिशा में श्रवण कुमार गोयल की दुकान उत्तर दिशा में नन्द किशोर कालिया का मकान व दक्षिण दिशा मे आम रास्ता सीकर बाजार अवस्थित है।	दुकान व्यावसायिक प्रयोजनार्थ हेतु जिसकी नाप पूरब से पश्चिम 7 फुट 6 इंच व उत्तर से दक्षिण 33 फुट 3 इंच कुल क्षैत्रफल 28.12 वर्गगज या 23.50 वर्गमीटर है।

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा-69क के अधिन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए नगर पालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजूरी के संबंध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 20.09.2022 को जारी की गयी।
अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका श्रीमाधोपुर

कार्यालय नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

क्रमांक-नपाश्रीमा./2022-23/3845-46 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक-20.09.2022

(1) श्रीमती बिदामी देवी पत्नी श्री बनवारीलाल सैनी (2) श्रीमती रामप्यारी देवी पत्नी श्री महावीर प्रसाद सैनी निवासी वार्ड नम्बर 03 सीकर बाजार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ने नीचे वर्णित भूमि में अपने अधिकार आवासीय+व्यावसायिक (मिश्रित) प्रयोजनार्थ के लिये ऐसी भूमि के उपयोग के लिये पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिये नगर पालिका के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/गली का नाम	पडौस द्वारा सीमाबद्ध भू-खण्ड सं.	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लम्बाई और चौडाई सहित क्षेत्र (मीटर में)
नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर)	वर्तमान वार्ड नं.03 सीकर बाजार श्रीमाधोपुर	चर्तु सीमाऐं निम्न प्रकार से है-पूर्व दिशा में माया देवी कमला देवी का मकान, पश्चिम दिशा में केदारनाथ की बाउण्ड्रीवाल व दशरथ तिवाडी का मकान, उत्तर दिशा में नूर मोहम्मद लीलगर का मकान व दक्षिण दिशा में आम रास्ता सीकर बाजार अवस्थित है।	भूखण्ड आवासीय+व्यावसायिक (मिश्रित) प्रयोजनार्थ हेतु जिसकी नाप पूर्वी ओर 62 फुट 6 इंच, पश्चिम और 64 फुट 6 इंच, उत्तरी ओर 23 फुट 10 इंच व दक्षिणी ओर 26 फुट 10 इंच 178.57 वर्गगज या 149.28 वर्गमीटर है।

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा-69क के अधिन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए नगर पालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजूरी के संबंध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 20.09.2022 को जारी की गयी।
अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका श्रीमाधोपुर

कार्यालय नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

क्रमांक-नपाश्रीमा./2022-23/3865-66 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक-20.09.2022

श्री श्रवण कुमार गोयल पुत्र श्री नोरंगमल गोयल निवासी वार्ड नं.03 सीकर बाजार रोड श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ने नीचे वर्णित भूमि में अपने अधिकार व्यावसायिक प्रयोजनार्थ के लिये ऐसी भूमि के उपयोग के लिये पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिये नगर पालिका के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/गली का नाम	पडौस द्वारा सीमाबद्ध भू-खण्ड सं.	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लम्बाई और चौडाई सहित क्षेत्र (मीटर में)
नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर)	वर्तमान वार्ड नं.03 सीकर बाजार श्रीमाधोपुर	चर्तु सीमाऐं निम्न प्रकार से है-पूर्व दिशा में संजय गोयल की दुकान, पश्चिम दिशा में मुकेश हलवाई की दुकान, उत्तर दिशा में नन्द किशोर कालिया का मकान व दक्षिण दिशा में आम रास्ता सीकर बाजार अवस्थित है।	भूखण्ड व्यावसायिक प्रयोजनार्थ हेतु जिसकी नाप पूरब से पश्चिम 7 फुट 6 इंच व उत्तर से दक्षिण 33 फुट 3 इंच कुल क्षैत्रफल 28.12 वर्गगज या 23.50 वर्गमीटर है।

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा-69क के अधिन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए नगर पालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजूरी के संबंध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 20.09.2022 को जारी की गयी।
अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका श्रीमाधोपुर

कार्यालय नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

क्रमांक-नपाश्रीमा./2022-23/3856-57 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक-20.09.2022

(1) चन्द्रप्रकाश सोनी पुत्र श्री रामविलास सोनी (2) श्रीमती शोभादेवी पत्नी श्री चन्द्र प्रकाश सोनी (3) ललित सोनी पुत्र श्री रामविलास सोनी (4) श्रीमती चन्दा सोनी पत्नी श्री ललित सोनी जाति सोनी निवासी वार्ड नं.17 सीकर बाजार श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ने नीचे वर्णित भूमि में अपने अधिकार व्यावसायिक प्रयोजनार्थ के लिये ऐसी भूमि के उपयोग के लिये पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिये नगर पालिका के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/गली का नाम	पडौस द्वारा सीमाबद्ध भू-खण्ड सं.	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लम्बाई और चौडाई सहित क्षेत्र (मीटर में)
नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर)	वर्तमान वार्ड नं.17 चौपडा बाजार श्रीमाधोपुर	चर्तु सीमाऐं निम्न प्रकार से है-पूर्व दिशा में रामविलास सोनी की दुकान, पश्चिम दिशा में गुलझारी हलवाई की दुकान, उत्तर दिशा में आम रास्ता सीकर बाजार व दक्षिण दिशा में ओमप्रकाश खण्डेलवाल का नोहरा अवस्थित है।	भूखण्ड व्यावसायिक प्रयोजनार्थ हेतु जिसकी नाप पूर्व-पश्चिम 14 फुट 9 इंच व उत्तर से दक्षिण 34 फुट 3 इंच कुल क्षैत्रफल 56.54 वर्गगज या 47.29 वर्गमीटर है।

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा-69क के अधिन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए नगर पालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजूरी के संबंध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 20.09.2022 को जारी की गयी।
अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका श्रीमाधोपुर

कार्यालय नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

क्रमांक-नपाश्रीमा./2022-23/3850-51 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक-20.09.2022

(1) श्रीमती माया देवी पत्नी श्री रामगोपाल सैनी (2) श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री रामछगन सैनी निवासी वार्ड नम्बर 03 सीकर बाजार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ने नीचे वर्णित भूमि में अपने अधिकार आवासीय+व्यावसायिक (मिश्रित) प्रयोजनार्थ के लिये ऐसी भूमि के उपयोग के लिये पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिये नगर पालिका के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/गली का नाम	पडौस द्वारा सीमाबद्ध भू-खण्ड सं.	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लम्बाई और चौडाई सहित क्षेत्र (मीटर में)
नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर)	वर्तमान वार्ड नं. 03 सीकर बाजार श्रीमाधोपुर	चर्तु सीमाऐं निम्न प्रकार से है-पूर्व दिशा में नोहरा ओमप्रकाश ठठेरा व सन्तरा देवी न्यारिया का मकान, पश्चिम दिशा में बादामी देवी व रामप्यारी देवी का मकान उत्तर दिशा में नूर मोहम्मद लीलगर का मकान व दक्षिण दिशा में दुकाने व आम रास्ता सीकर बाजार अवस्थित है।	भूखण्ड आवासीय+व्यावसायिक (मिश्रित) प्रयोजनार्थ हेतु जिसकी नाप पूर्वी और 57 फुट 6 इंच, पश्चिम ओर 62 फुट 1 इंच, उत्तरी ओर 23 फुट 5 इंच व दक्षिणी ओर 26 फुट 5 इंच 178.57 वर्गगज या 149.28 वर्गमीटर है।

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा-69क के अधिन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए नगर पालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजूरी के संबंध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 20.09.2022 को जारी की गयी।
अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका श्रीमाधोपुर